

[2]



मसं-7417183735

—: लीज डीड :—


(अवधि 29 साल 11 माह)

फोटो प्रमाणित कर्ता: मुकेश कुमार यादव एडवोकेट खेकडा
 किराया: 1100/- रू0 मासिक, कुल मालियती अंकन
 79,200/- रू0 स्टाम्प अंकन 80,000/- रू0 पर अंकन
 3,200/- रू0 का e-Stamp Certificate No. IN-
 UP75513802385088U कुल 06 किता

हम कि सन्त गोपीचन्द एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी
 अहैडा तहसील व जिला बागपत द्वारा प्रबन्धक श्री राम करन
 सिंह पुत्र श्री गोपी चंद निवासी म0नं0 11-12 गली नं0 1
 चंद्रलोक कालोनी शाहदरा पूर्वी दिल्ली 110032 (सम्पत्ति
 मालिक) प्रथम पक्ष।

Shingh

A. Singh



एवं

दी रॉयल गोपी इन्टरनेशनल स्कूल अहैडा तहसील व जिला बागपत द्वारा प्रबन्धक श्री नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम करन सिंह निवासी म०नं० 11-12 गली नं० 1 चंद्रलोक कालोनी शाहदरा पूर्वी दिल्ली 110032 (किरायेदार) द्वितीय पक्ष के है।

हम पक्षगण बिना किसी जबर दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क शुद्ध बुद्धि से निम्न शर्तों पर पूर्ण पाबन्द होते है:

1. यह कि आबादी ग्राम हरचन्दपुर तहसील खेकडा जिला बागपत के खसरा संख्या 149मि रकबा 7.9950 है० में से 0.810 है० यानि 8100 वर्ग मीटर है जिसमें दी रॉयल गोपी इन्टरनेशनल स्कूल अहैडा तहसील व जिला बागपत का भवन लगभग 513 वर्ग मीटर में निर्मित है तथा शेष भूमि खाली है जिसके पूरब में भूमि सन्त गोपीचन्द एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी अहैडा तहसील व जिला बागपत, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में सडक (बागपत-चमरावल रोड) व दक्षिण में भूमि सन्त गोपीचन्द एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी अहैडा तह० व जिला बागपत है, जिसका मालिक व काबिज प्रथम पक्ष है।

Khurji



Khurji



आवेदन सं०: 202200737007044

पट्टा विलेख/ कबूलियतनामा

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5504

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 80000 स्टाम्प शुल्क- 3200 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 800 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 860

श्री दी रॉयल गोपी इन्टरनेशनल स्कूल द्वारा
नागेन्द्र सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री राम करन सिंह
व्यवसाय : शिक्षक
निवासी: ग्राम अहेड़ा तहसील व जिला बागपत हाल नि० म० नं० 11-12 गली नं० 1 चंद्रलोक कालोनी शाहदरा दिल्ली 32

Na Singh



श्री, दी रॉयल गोपी इन्टरनेशनल स्कूल द्वारा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/12/2022 एवं 02:10:48 PM बजे
निबन्धन हेतु पेश किया।

नागेन्द्र सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

M
मुस्तफा अली प्रभारी
उप निबंधक :खेकड़ा
बागपत
12/12/2022
M
मुस्तफा अली .
निबंधक लिपिक
12/12/2022



[4]

2. यह कि द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त वर्णित खाली भूमि व उसमें निर्मित भवन को प्रथम पक्ष से दिनांक 12/12/2022 से दिनांक 11/11/2052 ई0 तक के लिये अंकन 1100/- रू0 (ग्यारह सौ रू0) प्रति माह की दर से किराये (लीज) पर लिया हुआ है।
3. यह कि किराये की धनराशि सालाना रूप से द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष के माह फरवरी में प्रथम पक्ष को नगद रूप में अदा किया जायेगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त प्लाट व उसमें निर्मित भवन को शिक्षण कार्य में उपयोग करने हेतु किराये (लीज) पर लिया है।

Shree



Anjali



आवेदन सं०: 202200737007044

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5504

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजसुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री सन्त गोपीचन्द एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी के द्वारा राम करन सिंह, पुत्र श्री गोपी चंद

निवासी: म०न० 11-12 गली न० 1 चंद्रलोक कालोनी शाहदरा पूर्वी दिल्ली 110032

व्यवसाय: शिक्षक

पट्टा गृहीता: 1



श्री दी रॉयल गोपी इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा नागेन्द्र सिंह, पुत्र श्री राम करन सिंह

निवासी: ग्राम अहैडा तहसील व जिला बागपत हाल नि० म०न० 11-12 गली न० 1 चंद्रलोक कालोनी शाहदरा दिल्ली 32

व्यवसाय: शिक्षक



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री कृष्ण कुमार शर्मा, पुत्र श्री स्व० माधवराम शर्मा

निवासी: कोर्ट रोड गली न० २ बागपत तहसील व जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



श्री अरविन्द कुमार, पुत्र श्री रमेशचन्द

निवासी: चमरावल रोड बहारी बस्ती बागपत तहसील व जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुस्तफा अली प्रभारी

उप निबंधक : खेकड़ा

बागपत


12/12/2022

मुस्तफा अली

निबंधक लिपिक बागपत

12/12/2022

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान-आंगुडे नियमानुसार लिखे गए हैं।
टिप्पणी :



5. यह कि यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त प्लाट व निर्मित भवन में कोई निर्माण कार्य करता है तो उसका समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष ही वहन करेगा, जिसमें प्रथम पक्ष एवं वारिसान प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. यह कि उपरोक्त प्लाट व निर्मित भवन का वार्षिक किराया अंकन 13,200/- (तेरह हजार दो सौ रू0) है, इसलिए स्टाम्प वार्षिक किराये के 6 गुना यानि 80,000/- रू0 पर 4 प्रतिशत की दर से अंकन 3200/- रू0 का अदा किया गया है।
7. यह कि इस लेख के उभय पक्ष व वारिसान उभय पक्ष पूर्णरूप से पाबन्द रहेगे।
8. मौजा हरचन्दपुर ख0 सं0 149मि को न्या0 उपजिलाधिकारी खेकडा अं0 धारा 143 के तहत पारित आदेश दि0 18/08/03 द्वारा आबादी घोषित किया जा चुका है।

Keerji




Amrangi



[6]

अतः यह लेख लीज डीड 29 वर्ष 11 माह के लिए दोनों पक्षों ने अपनी पूर्ण रजामन्दी स्वस्थ चित्त व शुद्ध बुद्धि से बिना किसी जबर दबाव के लिख दिया गया है ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। लेख तिथि 12/12/2022 ई० मसौदा नवीस मुकेश कुमार यादव एडवोकेट खेकडा।



साक्षी नं० 1 कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र स्व० श्री माधवराम शर्मा निवासी कोर्ट रोड गली नं० 2 बागपत तहसील व जिला बागपत।



साक्षी नं० 2 अरविन्द कुमार पुत्र श्री रमेशचन्द्र निवासी चमरावल रोड बहारी बस्ती बागपत तहसील व जिला बागपत।



मुकेश कुमार यादव
एडवोकेट
पंजी०सं०-UP 08300/09
C.O.P. No.-016695
खेकडा, जनपद-बागपत (उ.प्र.)
मो०-7417185755




मुकेश कुमार यादव
एडवोकेट
पंजी०सं०-UP 08300/09
C.O.P. No.-016695
खेकडा, जनपद-बागपत (उ.प्र.)
मो०-7417185755

आवेदन सं०: 202200737007044

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2856 के पृष्ठ 291 से 302 तक क्रमांक 5504 पर दिनांक 12/12/2022 को
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


मुस्तफा अली प्रभारी
उप निबंधक : खेकड़ा
बागपत
12/12/2022

